

MANGO NAGAR NIGAM

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये सम्पत्ती कर की सूचना।

Memo No. : 564828090920085004

Date : 09-09-2020

प्रभावी : 1 2019-2020

श्री/श्रीमती/सुश्री EITU MANDAL W/O GOUTAM MANDAL ,
मोहल्ला SHANTI VIHAR COLONY DIMNA MANGO JAMSHEDPUR JAMSHEDPUR
EAST SINGHBHUM , 831012

~~9099999999~~ 9097179604

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं० - 0090007127000M0 वार्ड सं० 9 हुआ है, आपके स्व० निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0/- रु० निर्धारित किया गया है। इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं०	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	47.00
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	47.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		47.00



नोट:-

1. कर निर्धारण की सूची, MANGO NAGAR NIGAM Website, www.jharkhandruda.net पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडीशन 11.4 के अंतर्गत में वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पत्ति कर का 50% होगा।
इतिहास दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना तथा कर निगम को सूचित करने तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पाये।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सम्पत्ति कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण पूंजी कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियायत दी जाएगी।
5. किसी देय पूंजी को निर्दिष्ट सम्पत्ति (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जा सकता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से सशर्त ब्याज देय होगा।
6. घर कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच तथा समग्र निगम कक्षा सुकली है एवं तथ्य गतत पाए जाने पर नियमावली कंडीशन 13.2 के अनुसार निर्धारित शक्ति (File) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. MANGO NAGAR NIGAM द्वारा संग्रहित इस सम्पत्ति कर इन दस्तावेज/दस्तावेजों को कोई कानूनी हस्तगत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलदार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये प्रॉविडिंग नोटों का अतिरिक्त अंक 5/6/7/8 है तो यह विहित संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा।

NOTE : This is a Computer generated receipt. This receipt does not require physical signature.

Print